MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

माइबुकलो (MYBOOKLO) **कंपनी**
19 गुरुनानकपुरा, द्वितीय फ्लोर, एलबीएस रोड, राजापार्क, जयपुर

और

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,
ब्लॉक–4, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) की वैध अवधि दिनांक 28/08/2021 से 03 शैक्षणिक सत्र (सत्र 2021–22 से 2023–24) तक है।

पक्षकारों का विवरण:

माइबुकलो एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है, जो माइबुकलो कंपनी द्वारा संचालित है। यह ऐप विद्यार्थियों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है जिसकी मदद से वे अपने पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो व्याख्यान, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा विद्यार्थी किसी भी स्थान से अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। इस एम.ओ.यू. का **प्रथम पक्ष माइबुकलो** (MYBOOKLO) **कंपनी**, 19 गुरुनानकपुरा, द्वितीय फ्लोर, एलबीएस रोड, राजापार्क, जयपुर और **द्वितीय पक्ष आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान**, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक 4, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर है। इस एम.ओ.यू. से राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजकीय महाविद्यालयों के सह/सहायक आचार्य एवं विद्यार्थी वर्ग को निम्न लाभ होंगे:–

I. यह समझौता पूर्णतया: निःशुल्क है अतः राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग एवं उपयोगकर्ताओं (आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, सह/सहायक आचार्य, विद्यार्थी) पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं होगा।

II. विद्यार्थियों को किसी भी समय अथवा स्थान पर पठन सामग्री उपलब्ध होगी।

III. उच्च शिक्षा के विस्तार में सहयोग मिलेगा।

IV. अध्ययन करने के इच्छुक विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।

मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मुख्य आधार:

1. उपरोक्त वर्णित दोनों पक्ष आपसी सहमति से निर्धारित शर्तों की अनुपालना कर प्रमुख रूप से विद्यार्थी हित में आपसी सहयोग से कार्य करेंगे।
2. यह समझौता 03 शैक्षणिक सत्रों (सत्र 2021–22 से 2023–24) की अवधि तक ही मान्य होगा। यह शर्त दोनों पक्षों पर सामान्य रूप से लागू होगी जिसके बाद में आपसी सहमति से इस समझौते को बढ़ाया जा सकता है।

3. समझौते की शर्तों में किसी भी प्रकार का संशोधन दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही होगा व माइबुकलो कंपनी बिना पूर्व सूचना के इस समझौते को रद्द नहीं कर पाएगी।
4. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा माइबुकलो कंपनी को सत्र 2020–21 में अपलोड किए गए तथा सत्र 2023–24 तक राजीव गांधी ई–कंटेट बैंक में विभिन्न विषयों के आगामी वीडियो व्याख्यान एवं पीडीएफ नोट्स को पाठ्यक्रमानुसार व्यवस्थित कर संधारित करने की अनुमति दी जाएगी।
5. सत्र 2023–24 के पश्चात् सत्र 2021–22 से 2023–24 की अवधि में राजीव गांधी ई–कंटेट बैंक में संधारित समस्त वीडियो व्याख्यान एवम् पीडीएफ नोट्स माइबुकलो कंपनी द्वारा आयुक्तालय को वापस सौंप दिए जायेंगे। अथवा उपरोक्त 03 शैक्षणिक सत्रों के बाद आयुक्तालय से अनुमति प्राप्त करके माइबुकलो कंपनी को माइबुकलो ऐप के माध्यम से वीडियो व्याख्यान एवं पीडीएफ नोट्स सार्वजनिक करने का अधिकार होगा।
6. बौद्धिक सम्पदा अधिनियम (IPR) के प्रावधान के अन्तर्गत माईबुकलो कम्पनी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान की अनुमति के बिना आयुक्तालय के 'लोगो,' नाम एवं कम्पनी को प्रदत्त पठन साम्रगी का किसी भी व्यवसायिक गतिविधि अथवा विज्ञापन में उपयोग नहीं करेगी। उल्लंघन किये जाने पर कम्पनी IPR के प्रावधानों के अनुसार शास्ति/क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगी ।
7. माइबुकलो कंपनी गूगल प्ले स्टोर पर माइबुकलो ऐप पर राजीव गांधी इ–कंटेट बैंक के नाम से आइकन बनाकर समस्त वीडियो व्याख्यान एवं पीडीएफ नोट्स को पाठ्यक्रम अनुसार व्यवस्थित एवं संधारित कर अपलोड करेगी। कम्पनी समस्त वीडियो व्याख्यान एवं पीडीएफ नोट्स का सम्पादन केवल तकनीकी दृष्टि से ही करेगी।
8. इस एम.ओ.यू. से किसी भी स्टेकहोल्डर (राजस्थान सरकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, समस्त राजकीय महाविद्यालय और विद्यार्थियों) पर किसी भी प्रकार का **वित्तीय भार नहीं** होगा।
9. राजीव गांधी ई–कंटेट बैंक द्वारा प्रदत्त अध्ययन सामग्री के प्रयोग करने पर कम्पनी द्वारा किसी भी स्टेकहोल्डर से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। माइबुकलो कंपनी द्वारा आयुक्तालय को कोई रॉयल्टी अथवा कोई अन्य शुल्क नहीं देना होगा।
10. इस समझौते के तहत राजस्थान राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि) के पाठ्यक्रमों को उपलब्धता के आधार पर माइबुकलो कंपनी द्वारा राजीव गांधी ई–कंटेट बैंक के समस्त वीडियो व्याख्यान एवम् पीडीएफ नोट्स व्यवस्थित एवम् संधारित किये जायेगें। जिसके पश्चात् माइबुकलो कंपनी द्वारा उपयोगकर्ताओं (विद्यार्थी, सह/सहायक आचार्य, एवम् आयुक्तालय) को उपलब्ध करवाये जायेंगे। अन्य विश्वविद्यालय (तकनीकी, कृषि और संस्कृत) के पाठ्यक्रम इस शर्त में सम्मिलित नहीं है।
11. उपरोक्त वर्णित समस्त वीडियो व्याख्यान एवं पीडीएफ नोट्स माइबुकलो कंपनी द्वारा सभी रजिस्टर्ड उपयोगकर्ताओं (विद्यार्थी, सह/सहायक आचार्य एवम् आयुक्तालय) को

पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवाए जायेंगे। वीडियो व्याख्यान एवं पीडीएफ नोट्स के कॉपीराईट का एकाधिकार पूर्णतया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा (द्वितीय पक्ष) के पास होगा। माइबुकलो कंपनी इसमें से किसी भी वीडियो व्याख्यान अथवा पीडीएफ नोट्स का प्रयोग किताब छपवाने आदि में आयुक्तालय की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकेगी।

12.आयुक्तालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं होगा।

13.माइबुकलो कंपनी द्वारा पूर्व में संधारित वीडियो व्याख्यान एवं पीडीएफ नोट्स के साथ–साथ संबंधित विषयों की ई–टेक्स्ट बुक भी विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाऐंगी।

14.कॉलेज शिक्षा के सह/सहायक आचार्य के अतिरिक्त माइबुकलो कंपनी द्वारा अन्य विषय विशेषज्ञों के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो व्याख्यान, पीडीएफ नोट्स व अन्य ई–कंटेंट विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

15.इस संबंध में किसी भी प्रकार का विधिक दायित्व माइबुकलो कंपनी का ही होगा।

16.माइबुकलो ऐप के प्रयोग के दौरान किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होगा। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो व्याख्यान अथवा पीडीएफ नोट्स के प्रायोजन हेतु माइबुकलो कंपनी को आयुक्तालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

17.आयुक्तालय की पूर्व अनुमति एवम् परिचय पत्र के बिना माइबुकलो कंपनी द्वारा किसी भी महाविद्यालय से संपर्क नहीं किया जा सकेगा।

स्टेकहोल्डर की भूमिका और दायित्वः– इस समझौते में प्रथम पक्ष माइबुकलो कंपनी है तथा द्वितीय पक्ष आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा है। परिभाषित स्टेकहोल्डर्स आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजकीय महाविद्यालयों के सह/सहायक आचार्यो एवं प्रदेश के राजकीय महाविधालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थी वर्ग है।

माइबुकलो कंपनी का दायित्व (प्रथम पक्ष)

I. माइबुकलो कंपनी राजस्थान सरकार, आयुक्तालय, विद्यार्थी एवम् सह/सहायक आचार्य को एक शैक्षणिक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाएगी। शर्तानुसार इस समझौते के तहत राजस्थान राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि) के पाठ्यक्रमों को उपलब्धता के आधार पर माइबुकलो कंपनी द्वारा राजीव गांधी ई–कंटेट बैंक के समस्त वीडियो व्याख्यान एवम् पीडीएफ नोट्स व्यवस्थित एवम् संधारित किया जायेगा एवं उपयोगकर्ताओं (विद्यार्थी, सह/सहायक आचार्य, एवम् आयुक्तालय) को उपलब्ध करवाया जायेगा।

II. इस एम ओ यू की अवधि में किसी भी तकनीकी खराबी अथवा विघ्न का निस्तारण माइबुकलो कंपनी द्वारा किया जायेगा।

आयुक्तालय (द्वितीय पक्ष) का दायित्व :–

आयुक्तालय द्वारा राजीव गांधी ई–कंटेंट बैंक की समस्त सामग्री माइबुकलो कंपनी को प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त आयुक्तालय के स्तर से समस्त महाविद्यालयों के सहायक आचार्य और सह आचार्य एवं विद्यार्थियों को माइबुकलो ऐप से अवगत करवाया जायेगा। ऑनलाइन एजुकेशन सामग्री जैसे नोट्स, वीडियो व्याख्यान, ई–टेक्स्ट बुक्स् आदि प्राप्त करने के लिए माइबुकलो ऐप का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। माइबुकलो द्वारा पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित एवं संधारित करने में आयुक्तालय द्वारा महाविद्यालय के सह /सहायक आचार्यो को आगामी सत्रों में विडियो व्याख्यान एवं पीडीएफ नोटस् निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अपलोड करने हेतु निर्देश दिये जायेंगे।

महाविद्यालय का दायित्व :–

महाविद्यालय के सह/सहायक आचार्यों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे पूर्णतया अपडेटेड डेटा एवं आगामी सत्रों में अपलोड होने वाले विडियो व्याख्यान एवं पीडीएफ नोटस् को आयुक्तालय द्वारा निर्देशित मापदण्डों के अनुसार बनाकर राजीव गांधी ई कन्टेंट पर अपलोड किये जायें। जिससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री माइबुकलो ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सके।

विद्यार्थियों से अपेक्षा :–

प्रदेश के राजकीय महाविधालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सहयोग हेतु यह एम.ओ.यू. किया जा रहा है। अतः विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें।

समझौते की वैधता

यह समझौता 03 शैक्षणिक सत्रों (2021–22 से 2023–24) 1 जुलाई 2021 से 30 अप्रेल 2024 तक की अवधि तक ही मान्य होगा। यह शर्त दोनों पक्षों पर सामान्य रूप से लागू होगी। इस समझौते को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी असहज स्थिति जिसमें कि इस एम.ओ.यू. के अन्तर्गत समझौते को जारी रखना मुश्किल हो, के उत्पन्न होने पर प्रथम अथवा द्वितीय पक्ष दोनों मे से कोई भी 02 महीने के अग्रिम नोटिस के बाद इस एम.ओ.यू. को समाप्त कर सकेगा। अगर ऐसा होता है तो आयुक्तालय द्वारा माइबुकलो कंपनी को उपलब्ध करवाया गया सारा डेटा कंपनी द्वारा आयुक्तालय को वापस दे दिया जाएगा। 03 शैक्षणिक सत्रों की अवधि से पहले यदि यह एम.ओ.यू. रद्द किया जाता है तो माइबुकलो कंपनी को आयुक्तालय द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के डेटा का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा।

गोपनीयता

दोनों पक्ष आपसी सहमति से उनके द्वारा साझा की गई समस्त सूचनाओं को पूर्णतया गोपनीय रखेंगे। सूचना तीसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति के लिखित आधार पर ही साझा की जाएगी। गोपनीयता बनाए रखने की शर्त एम.ओ.यू. की अवधि एवं उसके पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी लागू रहेगी। माइबुकलो कंपनी द्वारा गोपनीय सूचनाएं और डाटा जैसे विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर, नाम, उनकी कोर्स से संबंधित जानकारी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ साझा नहीं की जाएगी।

विवाद का समाधान

उपरोक्त वर्णित शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा उल्लंघन किये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा समझौते को निरस्त किया जा सकेगा। उक्त के अलावा अन्य विवाद की स्थिति में विवाद मध्यस्थता समिति को रेफर किया जायेगा। मध्यस्थता समिति में प्रथम पक्ष की ओर से कम्पनी के सी.ई.ओ. तथा एक अन्य पदाधिकरी एवम् दृितीय पक्ष की ओर से श्रीमान आयुक्त महोदय एवं श्रीमान उप–आयुक्त महोदय कॉलेज शिक्षा नामित होंगे। इस स्तर पर विवाद का समाधान नहीं हो पाने पर अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान को प्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय मान्य होगा।

(मेहताब शेख)
(सी.ई.ओ. माइबुकलो कंपनी)
19 गुरुनानकपुरा, द्वितीय फ्लोर,
एलबीएस रोड, राजापार्क,
जयपुर।

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रथम गवाह

द्वितीय गवाह